# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :— 03 / 11 / 2017

1. रामस्वरूप पुत्र माधोलाल जाति वैश्य महाजन निवासी ग्राम होदायली — प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 79 / 0.29, 80 / 0.58 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 40 मिन रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा था जो प्रार्थी के पिता माधोलाल पुत्र गंगाधर कौम महाजन निवासी होदायली द्वारा खरीद की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 15 सही दर्ज व स्वीकार हो गया लेकिन नामान्तरकरण का अमल जमाबन्दी में करते समय प्रार्थी के पिता का नाम माधोलाल के स्थान मोहनलाल हो गया जो काबिल दुरस्ती योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर माधोलाल दुरस्त करने का निवेदन किया है।

Web Copy Not Official

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा जांच रिपोर्ट कैम्प के दौरान प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होना स्वीकार करते हुए आराजी विवादित में अंकित प्रार्थी के पिता मोहनलाल के स्थान पर माधोलाल दुरस्त किया जाना उचित दर्शाया तथा सरपंच ग्राम पंचायत फिरोजपुर द्वारा भी पुष्टि की गई।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2023, 2027, 2019 हाल जमाबन्दी सम्वत 2070—73 नामान्तरकरण संख्या 15, आधार कार्ड, पहचान पत्र व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046—65 व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी सही होने की पुष्टि होती है इसके अतिरिक्त जैसा कि नामान्तरकरण संख्या के अंकित इन्द्राज से यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी के पिता का नाम माधोलाल दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के अनुसार ही आगे की जमाबन्दियों में प्रार्थी के पिता का नाम आराजी विवादित की खातेदारी में माधोलाल ही दर्ज होना चाहिए था परन्तु सहवन से मोहनलाल दर्ज हो गया है जो काबिल दुरस्ती योग्य है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 79 / 0.29, 80 / 0.58 वाके ग्राम होदायली तहसील राजगढ में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 40 मिन रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा था स्वीकार किया जाता है। उक्त आराजी की खातेदारी कॉलम में अंकित मोहनलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम माधोलाल नामान्तरकरण संख्या 15 वाके होदायली के अनुसार हाल रिकॉर्ड में दुरस्त करने की कार्यवाही तहसीलदार राजगढ को करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेखभंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट पलवा)